पंजीकरण संख्या—यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018—2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 सितम्बर, 2018 ई0 (भाद्रपद 10, 1940 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पंचायत, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग

सम्पत्ति / भवनकर उपविधि—2015

11 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 83 / न0पं0 / उप नियम / गजट—प्रकाशन / 2018—19 / ऊखीमठ—नगर पंचायत, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग की सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा—128(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा—128 के अन्तर्गत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर भवन / सम्पत्ति कर आरोपित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग द्वारा सम्पत्ति / भवनकर उपविधि—2015 बनाई गई है। जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा—301 के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला है उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार—पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग को प्रेषित की जा सकेगी। वाद—मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

सम्पत्ति / भवनकर उपविधि—2015

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भः—

(क) यह उपविधि नगर पंचायत, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग "सम्पत्ति / भवनकर उपविधि—2015" कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत, ऊखीमठ की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह उपविधि नगर पंचायत, ऊखीमठ द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

Scanned with OKEN Scanner

2. परिभाषाएँ:–

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में:–

(क) "नगर पंचायत" का तात्पर्य, नगर पंचायत, ऊखीमठ से है।

(ख) "सीमा" का तात्पर्य, नगर पंचायत, ऊखीमठ की सीमा से है।

(ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, ऊखीमठ से है।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य, नगर पंचायत, ऊखीमठ के निर्वाचित अध्यक्ष से है।

(ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य, नगर पंचायत, ऊखीमठ के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्य अथवा प्रशासक से है।

(च) "अधिनियम" का तात्पर्य, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) से है।

(छ) "वार्षिक मूल्यांकन" का तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–140 व धारा–141 के अन्तर्गत वार्षिक मूल्य से है।

(ज) "सम्पत्ति/भवनकर" का तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–128 के अन्तर्गत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर, कर से है।

(झ) "समिति" का तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–104 के अन्तर्गत गठित समिति से है।

(ञ) "भवन एवं भूमि" का तात्पर्य, नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि से है।

(ट) "स्वामी" का तात्पर्य, भवन एवं भूमि के स्वामी से है।

(ठ) "अध्यासी" का तात्पर्य, नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि पर किराए में रहने वाले व्यक्तियों से है।

3. वार्षिक मूल्यांकन:–

नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित भूमि एवं निर्मित भवन पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–141(2) के अन्तर्गत कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए नगर पंचायत द्वारा समय–समय पर पारिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, चाहे वे सदस्य हों या न हो अथवा संस्था/एजेन्सी नियुक्त किया गया या किए गए व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी, ऐसे प्रयोजन के लिए किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु निम्नानुसार वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा।

(क) कॉलेजों, स्कूलों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यक भवनों और अन्य अनावासीय भवनों की दशा में, भवन नव निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत लो0नि0वि0 के प्रचलित शैड्यूल रेट और उससे अनुलग्न भूमि की अनुमानित मूल्य तत्समय प्रचलित सर्किल रेट को जोड़कर निकाली गई धनराशि का 5 प्रतिशत से अनाधिक पर वार्षिक मूल्यांकन का आँकलन किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में, यथास्थिति भवन की दशा में प्रतिवर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की दशा में प्रतिवर्ग फुट क्षेत्र पर लागू न्यूनतम मासिक किराया, भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किए जाने पर आए 12 गुना मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर पर इस प्रकार होगी जैसे कि नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल के आधार पर नियत किया जायें और ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम दर और अन्य कारक इस प्रकार होंगे, जैसे निहित किये जाएं।

(ग) खण्ड (क) (ख) के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथास्थिति, ऐसे आवासीय एवं अनावासीय (दुकानात), जो किराए पर उठाये गये हों, उनका वार्षिक मूल्यांकन शहर की प्रचलित बाजार दर अथवा उस क्षेत्र के लिए कलेक्टर द्वारा तत्समय किराए हेतु प्रचलित सर्किल रेट से, जो भी अधिकतम् हों, के अनुसार किराए के भवन के प्रतिवर्ग फुट या मीटर, मासिक किराया दर पर निर्धारण करना होगा और

लाइसेंस शुल्क निर्धारण एवं संग्रह उपविधि–2015

11 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 83/न0पं0/उप नियम/गजट–प्रकाशन/2018–19/ऊखीमठ–नगर पंचायत, ऊखीमठ की मा0 नगर पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 07–03–15 में प्रस्ताव संख्या–01 के आधार पर नगर पंचायत, ऊखीमठ क्षेत्र के अन्तर्गत लाइसेंस शुल्क एवं संग्रह उप नियमावली निम्नानुसार पारित की गई है। उप नियमावली को सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित करवाया जा रहा हैं अगर किसी व्यक्ति विशेष/संस्था को उक्त उप नियमावली के किसी अंश अथवा किसी भाग पर किसी प्रकार की आपत्ति हो तो सप्रमाण तथ्यों सहित लिखित आपत्ति मा0 अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, ऊखीमठ को इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

लाइसेंस शुल्क निर्धारण एवं संग्रह उपविधि–2015

1. यह उपविधि नगर पंचायत, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) के सीमान्तर्गत विभिन्न एवं निजी स्तर से संचालित व्यवसायों पर लाइसेंस शुल्क निर्धारण एवं संग्रह उपविधि, सन् 2015 कहलायेगी।
2. परिभाषा–नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग से है।
   (1) अधिनियम का तात्पर्य, नगर पंचायत, ऊखीमठ अधिनियम 1916 (उ0प्र0 म्यूनिसिपेलिटी एक्ट सं0 2, 1916 तथा संशोधित), जो कि वर्तमान में उत्तराखण्ड प्रदेश में भी लागू है, से है।
   (2) अध्यक्ष का तात्पर्य, नगर पंचायत, ऊखीमठ के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रशासक से है।
   (3) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, ऊखीमठ से है।
   (4) लाइसेंस से तात्पर्य, उक्त अधिनियम की धारा 294 व 298 की उपधारा (2) के अन्तर्गत शुल्क निर्धारण सम्बन्धी उपविधियों के अधीन उल्लिखित एवं विभिन्न व्यवसायों को वर्गीकृत अनुसूची में वर्णित व्यवस्था व दरों से है तथा विभिन्न व्यवसायों के संचालन हेतु दी जाने वाली स्वीकृति से है।
   (5) अवधि लाइसेंस की अवधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 01 अप्रैल से 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी।
   (6) अनुसूची से तात्पर्य, इस उपविधि में वर्णित व्यवसायों एवं लाइसेंस शुल्क की दरों से है।
   (7) यदि कोई व्यवसाय एक से अधिक वर्गीकृत व्यवसाय श्रेणी में माना जा सकता हो, तो अनुसूची में जिस श्रेणी मद पर अधिक दर से लाइसेन्स शुल्क चिन्हित किया गया हो, उसी के अनुसार उस व्यवसाय पर लाइसेंस शुल्क लगाया व वसूला जायेगा।
   (8) व्यवसाय से सम्बन्धित श्रेणी/विवरण (मद) के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
3. लाइसेन्स आवेदक द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र के साथ दो फोटो (पासपोर्ट साइज) देनी होगी तथा आवेदन में व्यवसाय/विवरण का उल्लेख भी करना होगा।
4. प्राप्त आवेदन–पत्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा समुचित विचारोपरान्त लाइसेन्स दिए जाने/न दिए जाने का निर्णय लिया जायेगा, न दिए जाने की सूचना का कारण भी उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
5. अनुसूची में वर्णित व्यवसायों से सम्बन्धित व्यवसाय द्वारा लाइसेन्स 01 अप्रैल से 31 मई तक की अवधि के भीतर बना लिया जाना अनिवार्य होगा।
6. लाइसेन्स की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च (1 वित्तीय वर्ष) तक वैध होगा। अन्यथा स्थिति में विलम्ब शुल्क (जो लाइसेंस शुल्क का 10 प्रतिशत से कम न होगा) लाइसेंस अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा व अतिरिक्त अधिभार के रूप में जमा करना होगा।
7. लाइसेन्सधारक अपना व्यवसाय यदि बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक माह के अन्दर नगर पंचायत कार्यालय में अपने पुराने लाइसेन्स विवरण के साथ लिखित रूप से उपलब्ध करायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

8. लाइसेन्स जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी, अधिकार में निहित होगा।

9. जाँचकर्ता की जाँच के समय व्यवसाय से सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व व्यवसायी का होगा।

10. लाइसेन्स अधिकारी स्वयं अथवा अपने एजेन्सी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जाँच का कार्य सम्पादित करा सकता है।

11. उक्त अनुसूची में वर्णित लाइसेन्स सम्बन्धी नियम–उपनियमों का उल्लंघन होने अथवा पाये जाने की दशा में लाइसेन्स अधिकारी जनहित में किसी भी समय लाइसेन्स निरस्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में लाइसेन्स अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कोई भी अपील प्रस्तुत करता है तो उस अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष में निहित होगा।

12. नगर पंचायत, ऊखीमठ में इन उपविधियों/नियम–उपनियमों के तहत वर्तमान में प्रचलित विभिन्न लाइसेन्स उपविधियाँ उस सीमा तक, जो इस नियमावली के लिए असंगत होगी, वे निरस्त समझी जायेगी।

13. जिन विषयों के सम्बन्ध में इन उपविधियों में कोई उप नियम नहीं होंगे, उन विषयों में अधिशासी अधिकारी स्वविवेक अनुसार समझी जायेगी।

14. अधिशासी अधिकारी समय–समय पर ऐसे प्रपत्र भी निहित कर सकता है, जो इन उपविधियों के सम्यक् पालन के लिए आवश्यक हो।

अनुसूची

1.	होटल लॉज, 10 बेड तक	700/वर्ष
2.	होटल लॉज, बड़े 10 बेड से अधिक	1500/वर्ष
3.	गेस्ट हाऊस	500/वर्ष
4.	रैस्टोरेन्ट	600/वर्ष
5.	नर्सिंग होम	3000/वर्ष
6.	पैथोलॉजी सेन्टर	2000/वर्ष
7.	एक्स–रे सेन्टर	1000/वर्ष
8.	मेडिकल स्टोर	1000/वर्ष
9.	मोटर गैरेज	800/वर्ष
10.	स्कूटर गैरेज/रिपेयरिंग शॉप	500/वर्ष
11.	चक्की	600/वर्ष
12.	ड्राईक्लीनर	1000/वर्ष
13.	फर्नीचर के निर्माता	1000/वर्ष
14.	फर्नीचर शोरूम	2000/वर्ष
15.	हार्डवियर/लोहा व्यापारी, सीमेंट, ईंट	3000/वर्ष
16.	बिजली का सामान	1500/वर्ष
17.	कपड़ा व्यापारी/कपड़े की दुकान	2000/वर्ष
18.	टैंट एवं कैटरिंग	1000/वर्ष
19.	बेकरी भट्टी	1000/वर्ष
20.	बेकरी बिजली	1000/वर्ष
21.	ब्यूटी पार्लर	1000/वर्ष
22.	कुकिंग गैस एजेंसी	5000/वर्ष
23.	जनरल मर्चेन्ट	600/वर्ष
24.	टेलरिंग हाऊस, 1 मशीन	200/वर्ष
25.	टेलरिंग हाऊस, 3 मशीन	500/वर्ष
26.	टेलरिंग हाऊस, 3 मशीन से अधिक	1000/वर्ष

(4)

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नगर पंचायत की राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक यदि उपर्युक्त निधि से गणना की गई हो, अत्यधिक हों, वहाँ पर नगर पंचायत किसी भी कम धनराशि पर, जो समयपूर्ण प्रतीत हो, वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

(1) वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कारपेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी:–

(क) कक्ष–आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(ख) आच्छादित बरामदा–आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(ग) बालकोनी, गलियारा, रसोई घर और भण्डार गृह–आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप,

(घ) गैराज–आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप,

(ङ) स्नानागार, शौचालय, द्वारमण्डप और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।

(2) उ0प्र0 शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के प्रयोजन के लिए किसी भवन का मानक किराया या युक्तियुक्त वार्षिक किराए को भवन के वार्षिक गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

(3) सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु वार्षिक मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक भवन एवं भूमि का मौके पर निरीक्षण करने के उपरान्त यथास्थिति के अनुसार किया जायेगा।

भूमि/भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर कर–

भवन एवं भूमि के वार्षिक मूल्यांकन पर 10 प्रतिशत सम्पत्ति/भवन कर लिया जायेगा परन्तु निम्नलिखित भवन एवं भूमि अथवा उसके भाग निम्नानुसार कर से मुक्त रहेंगे:–

(क) मन्दिर, गुरूद्वारा, मस्जिद अथवा दूसरे धार्मिक संस्थाएँ, जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हो परन्तु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग रहने अथवा किराए पर या अन्य प्रकार से आय अर्जित की जाती है तो उन पर कर की छूट के नियम लागू नहीं होंगे।

(ख) अनाथालय, स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालय, धर्मशालाएँ तथा इस प्रकार से अन्य भवन तथा भूमि, जो इस प्रकार की दान की संस्थाओं की सम्पत्तियों और उन्हीं संस्था द्वारा ऐसे कार्य करती हों।

(ग) नगर पंचायत, ऊखीमठ की समस्त सम्पत्तियाँ।

कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशन–

भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–141 के अधीन तैयार की गई सूचियों का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण के लिए नगर पंचायत कार्यालय में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित की जायेगी तथा समाचार–पत्र में इस आशय की सूचना प्रकाशित करते हुए अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय गृहकर का निर्धारण किया जा चुका हैं, जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूचियों का अवलोकन एवं निरीक्षण करना हो, वे नगर पंचायत कार्यालय में आकर, कर निर्धारण सूचियों का अवलोकन एवं निरीक्षण कर सकते हैं तथा प्रस्तावित कर निर्धारण की सूचना सम्बन्धित प्रत्येक भवन स्वामी को 15 दिन के अन्दर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दी जानी आवश्यक होगी और कर निर्धारण सूचियों में प्राप्त आपत्तियों को मोहल्ले/वार्डवार क्रम संख्या देते हुए, आपत्ति एवं निस्तारण पंजिका में अंकित किया जायेगा।

आपत्तियों का निस्तारण–

भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन अथवा कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु नगरपालिका अधिनियम–1961 की धारा–104 के अन्तर्गत गठित समिति अथवा समिति गठित न होने के फलस्वरूप अधिशासी अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार से किया जायेगा:–

(1) प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु तिथि एवं समय नियत करते हुए, आपत्तिकर्ता को लिखित सूचना प्रेषित करनी होगी,

(2) आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति एवं निर्णय सम्बन्धित पत्रावली अथवा आपत्ति निस्तारण पंजिका में जस्टीफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी,

Scanned with OKEN Scanner

(3) शासनादेश सं0 2054/नौ–9–97–79ज/97, दिनांक 28.06.1997 द्वारा वार्षिक मूल्यांकन एवं कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण दिए गए निर्देशानुसार की जायेगी।

7. कर निर्धारण सूचियों का अभिप्रमाणीकरण और अभिरक्षाः–

(क) अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगर पंचायत क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित करेगा,

(ख) इस प्रकार से अभिप्रमाणित सूची नगर पंचायत कार्यालय में जमा की जायेगी,

(ग) जैसे ही सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची इस प्रकार से जमा कर दी जाये वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिए सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जायेगी,

(घ) कर निर्धारण सूचियों में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही होने के उपरान्त सम्पत्ति/भवनकर मांग एवं वसूली पंजिका में अन्तिम रूप से सूची दर्ज करते हुए, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–166 के अन्तर्गत दावों की वसूली हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही शासन द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशानुसार करनी होगी।

8. कोई भी व्यक्ति समय भवनों की ऐसेसमेंन्ट सूची पर अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा सकता है और जिस समय तक आवेदन–पत्र को अस्वीकार करने का काफी कारण न हो, उसका नाम दर्ज कर लिया जायेगा, अस्वीकृति का कारण लिख दिया जायेगा।

9. जब इस बात में शक हो कि भवन या भूमि पर कि जिसका नाम स्वामी के रूप में दर्ज किया जाये तो बोर्ड या समिति या वह अधिकारी जिसकी बोर्ड ने उ0प्र0 नगरपालिका एक्ट, 1916 की धारा 143(3) के अधीन अधिकारी दिया हो, यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए। इसका निश्चय उस समय तक लागू रहेगा जब तक सशक्त न्यायालय उसको रद्द न कर दें।

10. (1) अगर किसी ऐसे भवन या भूमि के स्वामी होने का अधिकारी, जिस पर यह कर लागू हो, हस्तान्तरित किया जावे तो अधिकार हस्तान्तरित करने वाला या जिसको हस्तान्तरित किया जावें, वह यदि कोई दस्तावेज न लिखी गई हो तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गई हो तो दस्तावेज लिखे जाने या रजिस्ट्री होने या हस्तान्तरित होने की तिथि से तीन माह के अन्दर हस्तान्तरित होने की सूचना अध्यक्ष को अथवा अधिशासी अधिकारी को देगा।

(2) किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी जिस पर कर लागू है, की मृत्यु के पश्चात् उसका उत्तराधिकारी या जो जायदाद का स्वामी हो, इसी प्रकार होने से तीन माह के अन्दर सूचना देगा।

11. (1) सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया है, उक्त नियम में उल्लिखित सभी विवरण सफाई से और ठीक तौर से दिये जायेंगे।

(2) हर ऐसा व्यक्ति, जिसको जायदाद हस्तान्तरित की गई हो, अधिशासी अधिकारी के माँगने पर दस्तावेज (अगर लिखी गई है) या उसकी एक प्रतिलिपि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1877 ई0 के अनुसार ली गई हो, पेश करेगा।

12. उत्तर प्रदेश नगरपालिका एक्ट, 1916 की धारा 151(2) के अधीन कर की थोड़ी माफी या ऐसी माफी के लिए भवन का स्वामी, जिसमें कई किरायेदार रहते हो, भवन पर कर लागू करने के समय बोर्ड से प्रार्थना कर सकता है कि तमाम भवन का कर लागू करने के अलावा हर एक भाग का वार्षिक मूल्य अलग–अलग एक नोट में दर्ज किया जावे और जब कोई भाग, जिसका वार्षिक मूल्य अलग दर्ज हो गया है, या किराए के नब्बे दिन या इससे अधिक समय के लिए किसी साल में खाली रहा हो तो कुल भवन के कर का वह हिस्सा माफ किया जायें, जो कि एक्ट की धारा 151(1) के अधीन वापस या माफ किया जाता, यदि भवन के भाग पर अलग कर लागू किया होता।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–299(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, नगर पंचायत एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लंघन करने के लिए अर्थदण्ड ₹ 1,000.00 (एक हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहा हो तो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो ₹ 100.00 (एक सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

7.	ज्वैलर्स	4000 / वर्ष
28.	डेयरी	500 / वर्ष
29.	केबिल नेटवर्क	4000 / वर्ष
30.	ऑडियों एवं विडियो लाइब्रेरी	500 / वर्ष
31.	इन्श्योरेंस कम्पनी प्रति शाखा	4000 / वर्ष
32.	मांस विक्रेता	2500 / वर्ष
33.	विदेशी शराब की दुकान	20000 / वर्ष
34.	पान की दुकान	500 / वर्ष
35.	चाय की दुकान	300 / वर्ष
36.	स्टेशनरी	1200 / वर्ष
37.	रेडियो / टी0वी0 / मोबाइल रिपेयरिंग	600 / वर्ष
38.	रेडियो / टी0वी0 / मोबाइल की दुकान	1500 / वर्ष
39.	बर्तन / क्राकरी / प्लास्टिक सामान की दुकान	1200 / वर्ष
40.	मिठाई की दुकान	1200 / वर्ष
41.	सब्जी और फल की दुकान	1000 / वर्ष
42.	चूड़ी / कॉस्मेटिक आदि	1000 / वर्ष
43.	फोटोग्राफर	800 / वर्ष
44.	बारातघर	5000 / वर्ष
45.	प्राइवेट स्कूल	3000 / वर्ष
46.	रडिमेट गारमेंट्स	1500 / वर्ष
47.	कबाड़ी	1200 / वर्ष
48.	कम्प्यूटर कोचिंग	1800 / वर्ष
49.	कम्प्यूटर जॉब वर्क एवं फोटो स्टेट	1200 / वर्ष
50.	खाने का होटल	800 / वर्ष
51.	ढाबा	800 / वर्ष
52.	हेयर ड्रेसर	1200 / वर्ष
53.	परचून	1200 / वर्ष
54.	खनन, टिपान आदि	NIL
55.	मुर्गी फार्म	500 / वर्ष
56.	डेंटल क्लीनिक	1500 / वर्ष
57.	वाहनों द्वारा मुर्गी आपूर्ति करने वाले व्यवसायी	200 / प्रति गाड़ी
58.	स्थानीय उत्पादों पर आधारित जूस, अचार व अन्य उत्पाद	600 / वर्ष
59.	अन्य	500 / वर्ष
60.	फेरी विक्रेता	₹ 20 प्रतिदिन

यह उप नियमावली नगर पंचायत, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग के मा0 नगर पंचायत बोर्ड की सहमति पर बोर्ड की बैठक दिनांक 07.03.2015 में प्रस्ताव संख्या–01 के द्वारा पारित की गई।

Scanned with OKEN Scanner

ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि–2015

11 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 83/न0पं0/उप नियम/गजट–प्रकाशन/2018–19/ऊखीमठ–नगर पंचायत, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश–2002 की धारा 298(2) लिस्ट जे0(डी0) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत, ऊखीमठ के निर्माण, कार्यों के सम्पादन करने हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियन्त्रण के लिए ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि बनाई गई है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य अथवा जिन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग को प्रेषित की जा सकेगी। वाद–मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि–2015

1. परिभाषाएँ–

(1) यह उपविधि नगर पंचायत, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि–2014 कहलायेगी। जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू एवं प्रभावी होगी।

(2) नगर पंचायत/निकाय का तात्पर्य, नगर पंचायत, ऊखीमठ से है।

(3) बोर्ड का तात्पर्य, नगर पंचायत, ऊखीमठ के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्य अथवा प्रशासक से है।

(4) अधिनियम–अधिनियम का तात्पर्य, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश–2002 से है।

(5) अध्यक्ष का तात्पर्य, नगर पंचायत, ऊखीमठ के निर्वाचित अध्यक्ष से हैं।

(6) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, ऊखीमठ से है।

(7) पंजीकरण–पंजीकरण का तात्पर्य नगर पंचायत, ऊखीमठ द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण से है।

(8) ठेकेदार–ठेकेदार का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से है, जो नगर पंचायत, ऊखीमठ में समस्त निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण, सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य, जो संविदा के अन्तर्गत आते हों, को करने का इच्छुक व्यक्ति है।

(9) श्रेणी–श्रेणी का तात्पर्य, ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से है।

2. पंजीकरण की प्रक्रिया–

नगर पंचायत के निर्माण कार्य (सड़क/नाला/नाली/पुस्ता/अन्य) एवं भवन के निर्माण कार्यों के सम्पादन तथा सामग्री आपूर्ति हेतु ठेकेदार की तीन श्रेणियाँ होंगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में निम्न शर्तों/औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है:–

(1) वह भारत का नागरिक हो तथा नगर पंचायत सीमान्तर्गत या जनपद रूद्रप्रयाग में कम से कम 05 वर्ष से निवास करता हो, अथवा उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो, का प्रमाण–पत्र, दो पासपोर्ट फोटो सहित देनी होगी।

(2) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र (जो छः महीने की अवधि के अन्दर का हो)।

(3) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण--पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है)

(अ) प्रथम श्रेणी के लिए	₹ 15.00 लाख
(ब) द्वितीय श्रेणी के लिए	₹ 10.00 लाख
(स) तृतीय श्रेणी के लिए	₹ 02.00 लाख

(4) प्रथम श्रेणी में पंजीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, नगर पंचायत/नगरपालिका परिषद्, जल संस्थान एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सड़क/नाली/नाला आदि एवं भवन निर्माण का 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 2.00 करोड़ के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने होंगे। इसके अतिरिक्त स्वयं का तकनीकी अभियन्ता एवं टी० एण्ड पी० (मिक्सचर मशीन/ बाइबरेटर/जे०सी०बी०/रोड रोलर/प्रिमिक्सिंग मशीन) आदि होने आवश्यक होंगे। अनुभव प्रमाण–पत्र अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

(5) द्वितीय श्रेणी में पंजीकरण हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 50.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे (अनुभव प्रमाण–पत्र उपरोक्तानुसार जारी ही मान्य होगा।)।

(6) तृतीय श्रेणी में पंजीकरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम एक वर्ष का कार्य किया हो, का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।

(7) प्रत्येक ठेकेदार का आयकर एवं व्यापार कर विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा आयकर एवं व्यापार का पंजीकरण प्रमाण–पत्र, प्रार्थना–पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

3. जमानत–

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत–पत्र (एन०एस०सी०) अथवा किसान विकास पत्र के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक कर आवेदन–पत्र के साथ देनी होगी।

(अ) प्रथम श्रेणी के लिए	₹ 50,000.00
(ब) द्वितीय श्रेणी के लिए	₹ 30,000.00
(स) तृतीय श्रेणी के लिए	₹ 20,000.00

4. पंजीकरण शुल्क–

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि नगद रूप में नगर पंचायत, ऊखीमठ के कोष में जमा करनी होगी:–

(अ) प्रथम श्रेणी के लिए	₹ 10,000.00
(ब) द्वितीय श्रेणी के लिए	₹ 5,000.00
(स) तृतीय श्रेणी के लिए	₹ 3,000.00

5. पंजीकरण की अवधि–

प्रत्येक वर्ष के मात्र माह अप्रैल से माह जुलाई तक ठेकेदारों के पंजीकरण किए जायेंगे। पंजीकरण हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र का प्रारूप ₹ 100.00 नगर पंचायत कोष में जमा कर, क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा, जो अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

6. नवीनीकरण की प्रक्रिया–

ठेकेदारों को प्रत्येक 02 वर्ष में निम्न श्रेणी के अनुसार अपना नवीनीकरण कराना होगा:–

(1) नवीनीकरण की अवधि 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक होगी। इसके पश्चात् नवीनीकरण कराने पर प्रतिमाह ₹ 1,000.00 विलम्ब शुल्क का भुगतान कर नवीनीकरण किया जायेगा।

(2) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को एक निर्धारित प्रारूप पर जिसका मूल्य ₹ 100.00 होगा, नगर पंचायत कार्यालय से क्रय कर विगत वर्ष में किए गए निर्माण कार्यों का विवरण देना होगा।

(3) नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार पंचायत कोष में जमा कराने तथा विगत वर्ष में किए गए कार्यों के विवरण पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी:–

(अ) प्रथम श्रेणी के लिए ₹ 1,000.00

(ब) द्वितीय श्रेणी के लिए ₹ 5,00.00

(स) तृतीय श्रेणी के लिए ₹ 3,00.00

(4) अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता है।

(5) नवीनीकरण के आवदेन–पत्र के साथ प्रत्येक वर्ष में चरित्र प्रमाण–पत्र (जो छः माह की अवधि के अन्दर का हो) तथा तीन वर्ष बाद नवीनतम हैसियत प्रमाण–पत्र/नवीनीकरण के समय यदि हैसियत यथावत् हो तो उसके लिए शपथ–पत्र देना होगा।

7. निर्माण के सम्पादन की सीमा–

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगा:–

(1) प्रथम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(2) द्वितीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार ₹ 10.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(3) तृतीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार ₹ 5.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

8. निविदा प्रपत्र की लागत–

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आंगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा:–

कार्यों की लागत (₹ में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (₹ में)
(अ) 50,000.00 तक	100.00
(ब) 50,000.00 से 1,00,000.00 तक	200.00
(स) 1,00,000.00 से 2,00,000.00 तक	400.00
(द) 2,00,000.00 से 4,00,000.00 तक	500.00
(य) 4,00,000.00 से 8,00,000.00 तक	800.00

(र) ₹ 8,00,000.00 से ऊपर के कार्यों के प्रपत्र का मूल्य प्रति ₹ 10,000.00 पर ₹ 10.00 के हिसाब से गणना कर निर्धारित किया जायेगा।

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए नगर पंचायत से निविदा प्रपत्र नकद मूल्य देकर खरीदेगा, निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा होने के पश्चात् किसी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों को ही बेचा जायेगा।

9. निविदा स्वीकार करने का अधिकार—

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का होगा किन्तु यदि न्यूनतम निविदा आँकलन से ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ घटाने के बाद भी कम है, तो इस पर तकनीकी राय लेकर निर्णय लिया जायेगा। निविदा डालने के 06 माह तक उन्हीं दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। यदि ठेकेदार को निविदा डालने की तिथि से 06 माह बाद कार्यादेश दिया जाता है तो ठेकेदार उन दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

10. धरोहर राशि—

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्यूरमेंट) नियम, 2008 में किए गए प्राविधान के अनुसार स्थाई जमानत/धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र एवं एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम बन्धक देनी होगी।

11. ठेकेदार का भुगतान—

कार्य समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, व्यापार कर एवं जमानत की राशि काटने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा। जमानत राशि का भुगतान 06 माह बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुति पर किया जायेगा।

12. कार्य पूर्ण करने की अवधि—

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह निविदा फार्म में दी गई कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करें। यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढ़ाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना-पत्र दिया जाता है तो अवर अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर 5 प्रतिशत की दर से अन्तिम बिल की धनराशि से अर्थदण्ड के रूप में कटौती कर ली जायेगी, यदि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति, बिल की धनराशि से नहीं हो जाने की स्थिति में दण्ड की अवशेष धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भाँति सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।

13. पंजीकरण का निरस्तीकरण—

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य संतोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेंट व साईट प्लान के अनुरूप नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जाँच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को काली सूची में डाल सकता है। पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान नगर पंचायत को हुई हानि के समायोजन के पश्चात् किया जायेगा।

14. जमानत जब्त करने का अधिकारी—

यदि ठेकेदार नगर पंचायत उपनियमों या ठेके की शर्तों अनुबन्ध-पत्र का उल्लंघन कर, नगर पंचायत को कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जाँच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी पंचायत की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

11

सार्वजनिक सूचना

11 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 83/न0पं0/उप नियम/गजट–प्रकाशन/2018–19/ऊखीमठ–नगर पंचायत, ऊखीमठ के सीमा अंन्तर्गत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298, उपधारा–2, खण्ड–(झ)(घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2000 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2017 बनाई जाती हैं, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन्न पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर लिखिंत सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, ऊखीमठ को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझादों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2017

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भः–

1. यह उपविधि नगर पंचायत, ऊखीमठ की "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2017" कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पंचायत, ऊखीमठ के समस्त क्षेत्रों में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।
4. परिभाषाएँ:–

(i) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप में नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता हैं।

(ii) "उपविधि" से तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से है।

(iii) "नगर पंचायत" से तात्पर्य, संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के लिए संगठित नगर पंचायत से है।

(iv) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

(v) "सफाई निरीक्षक" से तात्पर्य, नगर पंचायत, ऊखीमठ में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरपालिका के उस अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(vi) "निरीक्षण अधिकारी" का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है, जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है।

(vii) "नियम" से तात्पर्य, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस (प्रबन्धन और हथालन) नियम 2000 बनाये गये, से है।

(viii) "अधिनियम" से तात्पर्य, उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड नगरपालिका अधिनियम, से है।

(ix) "जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट (Biodegradable waste)" से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से, जिसका सुक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है। जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फल के छिलके, फूल–पौधों के पत्ते आदि।

(x) "जीव अनाशित अपशिष्ट (Non-Biodegradable Waste)" का तात्पर्य, ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा, कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लॉस्टिक भी है।

Scanned with OKEN Scanner

(12)

(xi) पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable Waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तन उपरान्त प्रयोग में आ सकता हो, जैसे–प्लॉस्टिक, पॉलीथीन, कागज, धातु, रबड़ आदि।

(xii) "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (Biomedical Waste)" से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रिया–कलापों या जैविकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

(xiii) "संग्रहण (Collection)" से तात्पर्य, अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

(xiv) "कचरा खाद बनाने (Composting)" से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।

(xv) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (Demolition and Construction Waste)" से सन्निर्माण, पुनः निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट अभिप्रेत है।

(xvi) "व्ययन (Disposal)" से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन, अभिप्रेत है।

(xvii) "भूमिभरण (Landfilling)" से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाली बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव क लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान, अभिप्रेत है।

(xviii) "निक्षालितक (Leachate)" से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है।

(xix) "नगर पंचायत प्राधिकारी (Municipal Authority)" में, म्युनिशपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर पंचायत, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन, ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(xx) "स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority)" का तात्पर्य, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत से है।

(xxi) "नगरीय ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste)" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(xxii) "सुविधा के परिचालक (Operator of Facility)" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

(xxiii) "पुनःचक्रण (Recycling)" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तित करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

(xxiv) "पृथक्करण (Segregation)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

Scanned with OKEN Scanner

13

(xxv) "मण्डारण (Storage)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(xxvi) "परिवहन (Transportation)" से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।

5. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (Establishment), नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, नाली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिनमें से एक में जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनःचक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगरपालिका के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगरपालिका के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (Operator of a Facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरों, जो समय–समय पर संशोधित करी जा सकेगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) लिए जायेंगे।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगरपालिका से सम्पर्क कर, पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो, बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव न हो तो नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्ट के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा परिचालक को देना होगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन, जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम, 1988 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला, व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।

13. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, मण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण अधिकारी को होगा।

14. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्टों को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है, जो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगरपालिका/सुविधा प्रचालक द्वारा तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी प्राप्ति रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, यह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगरपालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

15. अनुसूची में दी गई दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5.00 (पाँच) के पूर्णांक में की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

...विधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेरा/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

क्र0 सं0	अपशिष्ट एवं अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (USer Charges) की राशि ₹ में			
		जैविक–अजैविक कूड़ा अलग–अलग कर, सड़क तक पहुँचाने पर	मिश्रित कूड़ा सड़क तक पहुँचाने पर	जैविक–अजैविक कूड़ा घर/श्रोत पर ही अलग–अलग देने पर	जो व्यक्ति घर/श्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा दे
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	–	05	10	15
2.	कम आय वाले घर	05	10	15	20
3.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	10	20	25	30
4.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	100	200	200	250
5.	धर्मशाला	10	25	40	50
6.	बरातघर	500	1,000	750	800
7.	बेकरी	100	200	125	150
8.	कार्यालय	50	100	50	75
9.	सब्जी एवं फल विक्रेता	100	200	100	125
10.	रेस्टोरेन्ट	250	500	200	250
11.	स्कूल, कॉलेज एवं आवासीय शिक्षण संस्थाएँ	100	200	200	200
12.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम	200	400	200	250
13.	मेडिकल स्टोर	75	150	100	125
14.	दुकान	100	200	125	150
15.	वर्कशॉप/कबाड़ी	750	1,500	250	300
16.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	50	100	125	150

शास्ति

उपरोक्त उपविधि के किसी भाग का उल्लंघन करने पर पालिका अर्थदण्ड वसूल कर सकेगी, जो सेवा शुल्क की निर्धारित दरों का 10 गुना तक अधिकतम हो सकता है। उपविधि–3 के उल्लंघन पर ₹ 200 प्रति घन मी0 की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा। निरन्तर उल्लंघन की दशा में ₹ 500 प्रति घन मी0 प्रतिदिन की दर से वसूल किया जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष/प्रशासक,
नगर पंचायत, ऊखीमठ,
जनपद रूद्रप्रयाग।

Scanned with OKEN Scanner

15

सूचना

एलआईसी पालिसी संख्या 113229338 मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश कुमा हिमानी दर्ज है जबकि वास्तविक नाम हेमलता चौहान है।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

नरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र किशन सिंह चौहान

निवासी ग्राम बल्सा पोस्ट धामस, अल्मोडा

Scanned with OKEN Scanner